

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
तक. 114-009/2003/20-01-03.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53 ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 फरवरी 2009—माघ 23, शक 1930

### ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2009

### अधिसूचना

क्रमांक एक 1-8/2008/13/1. — विद्युत अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम 2003 का 36) की धारा 131 तथा 133 की उंगठारा (1) एवं (2) सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अंतरण योजना नियम, 2008 के नियम 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अंतरण योजना नियम 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त नियमों में :-

1. नियम 3 के खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(छ) “होलिंग कंपनी” से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होलिंग कंपनी मर्यादित, जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत मुख्य रूप से उत्पादन कंपनी, वितरण कंपनी, पारेषण कंपनी एवं ट्रेडिंग कंपनी के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिये व उपरोक्त वर्णित उत्तरवर्ती संस्थानों के सुकर संचालन हेतु गठित किया जाना है।

2. नियम 5 के उपनियम (क) के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(क) बोर्ड का उपक्रम निम्नलिखित अनुसूची में वर्णीकृत किया जायेगा -

(एक) उत्पादन उपक्रम अनुसूची-एक अनुसार व्यवस्थित किया जाये।

(दो) पारेषण उपक्रम (राज्य पारेषण यूटीलिटी के कार्यों के साथ) अनुसूची-दो अनुसार व्यवस्थित किया जाये.

(तीन) वितरण उपक्रम अनुसूची-तीन अनुसार व्यवस्थित किया जाये.

(चार) ट्रेडिंग उपक्रम अनुसूची-चार में व्यवस्थित किया जाये.

(पांच) होलिडंग उपक्रम अनुसूची-पांच अनुसार व्यवस्थित किया जाये.

3. नियम 5 के उपनियम (ख) में शब्द एवं अंक उपनियम 4 (क) के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द एवं अंक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-  
“उपनियम 5 (क)”

4. नियम 6 के उपनियम (ख) में शब्द एवं अंक “उपनियम 5” (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-  
“उपनियम 6 (क)”

5. नियम 6 के उपनियम (ख) के अंतिम पंक्ति में शब्द एवं अंक “नियम 7” के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-  
“नियम 8”

6. नियम 6 के उपनियम (क) में शब्द “अनुसूची ‘अ’ से ‘इ’ ” के स्थान पर शब्द “अनुसूची-एक से पांच” प्रतिस्थापित किया जाये.

7. नियम 7 के उपनियम (च) में अंक “6” जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर अंक “7” प्रतिस्थापित किया जाये.

8. नियम 7 के उपनियम (क) में शब्द “अनुसूची ‘अ’ ” के स्थान पर शब्द “अनुसूची-एक” प्रतिस्थापित किया जाये.

9. नियम 7 के उपनियम (ख) में शब्द “अनुसूची ‘ब’ ” के स्थान पर शब्द “अनुसूची-दो” प्रतिस्थापित किया जाये.

10. नियम 7 के उपनियम (ग) में शब्द “अनुसूची ‘स’ ” के स्थान पर शब्द “अनुसूची-तीन” प्रतिस्थापित किया जाये.

11. नियम 7 के उपनियम (घ) में शब्द “अनुसूची ‘द’ ” के स्थान पर शब्द “अनुसूची-चार” प्रतिस्थापित किया जाये.

12. नियम 7 के उपनियम (ङ) में शब्द “अनुसूची ‘इ’ ” के स्थान पर शब्द “अनुसूची-पांच” प्रतिस्थापित किया जाये.

13. नियम 7 के उपनियम (ज) में अंक “10” के स्थान पर अंक “11” प्रतिस्थापित किया जाये.

14. नियम 8 के उपनियम (ख) के खण्ड (एक) में अंक “6” के स्थान पर अंक “7” प्रतिस्थापित किया जाये.

15. नियम 8 के उपनियम (ग) में अंक “7” जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर अंक “8” प्रतिस्थापित किया जाये.

16. नियम 8 के उपनियम (घ) में अंक “10” के स्थान पर अंक “11” प्रतिस्थापित किया जाये.

17. नियम 8 के उपनियम (ङ) में अंक “7” के स्थान पर अंक “8” प्रतिस्थापित किया जाये.

18. नियम 8 के उपनियम (छ) में अंक “7” के स्थान पर अंक “8” प्रतिस्थापित किया जाये.

19. नियम 8 के उपनियम (ठ) में अंक तथा शब्द 7 (न) एवं 7 (ट) के स्थान पर 8 (ज) एवं 8 (ट) प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2009

क्रमांक एफ 1-8/2008/13/1 — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-02-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
देबासीष दास, विशेष सचिव।

Raipur, the 12th Februry 2009

## NOTIFICATION

No. F 1-8/2008/13/1.— In exercise of the powers conferred by section 131 and sub-section (1) and (2) of Section 133 of the Electricity Act, 2003 (Central Act 36 of 2003) read with Rule 13 of the Chhattisgarh State Electricity Board Transfer Scheme Rules 2008, the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh State Electricity Board Transfer Scheme Rules, 2008, namely :-

## AMENDMENT

In the said rules :-

1. For clause (g) of rule 3, the following clause shall be substituted, namely :-

(g) "Holding Company" means the Chhattisgarh State Power Holding Company Limited, a company to be incorporated under the Companies Act, 1956 with the main object of undertaking the co-ordination activities between Generation Company, Distribution Company, Transmission Company and Trading Company for Smooth functioning of the above mentioned successor entities.

2. For sub-rule (a) of rule 5, the following sub-rule shall be substituted, namely :-

(a) The undertakings of the Board are classified in the following Schedules :-

- (i) Generation Undertaking as set out in Schedule-I.
- (ii) Transmission Undertaking (alongwith functions of the State Transmission Utility) as set out in Schedule-II.
- (iii) Distribution Undertaking as set out in Schedule-III.
- (iv) Trading Undertaking as set out in Schedule-IV.
- (v) Holding Undertaking as set out in Schedule-V.

3. In sub-rule (b) of rule 5, for the words and figure, Sub Rule 4 (a) the following words and figure shall be substituted, namely :-

" Sub rule 5 (a)".

4. In sub-rule (b) of rule 6, for the words and figure Sub Rule 5 (a) the following shall be substituted, namely :-  
“ Sub rule 6 (a)”.
5. In last line of sub-rule (b) of rule-6, for the word and figure “rule-7” the following shall be substituted, namely :-  
“rule 8”.
6. In sub- rule (a) of rule 6, for the words “Schedules ‘A’ to ‘E’ ” the word and figures ‘Schedules I to V’ shall be substituted.
7. In sub-rule (f) of rule 7, for the figure “6” wherever it occurs the figure “7” shall be substituted.
8. In sub-rule (a) of rule 7, for the words “Schedule ‘A’ ” the word and figure “Schedule-I” shall be substituted.
9. In sub-rule (b) of rule 7, for the words “Schedule ‘B’ ” the word and figure “Schedule-II” shall be substituted.
10. In sub-rule (c) of rule 7, for the words “Schedule ‘C’ ” the word and figure “Schedule-III” shall be substituted.
11. In sub-rule (d) of rule 7, for the words “Schedule ‘D’ ” the word and figure “Schedule-IV” shall be substituted.
12. In sub-rule (e) of rule 7, for the words “Schedule ‘E’ ” the word and figure “Schedule-V” shall be substituted.
13. In sub-rule (j) of rule 7, for the figure “10” the figure “11” shall be substituted.
14. In clause (i) of sub-rule (b) of rule 8, for the figure “6” the figure “7” shall be substituted.
15. In sub-rule (c) of rule 8, for the figure “7” wherever it occurs the figure “8” shall be substituted.
16. In sub-rule (d) of rule 8, for the figure “10” the figure “11” shall be substituted.
17. In sub-rule (e) of rule 8, for the figure “7” the figure “8” shall be substituted.
18. In sub-rule (g) of rule 8, for the figure “7” the figure “8” shall be substituted.
19. In sub-rule (l) of rule 8, for the figure “7” wherever it occurs the figure “8” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
DEBASISH DAS, Special Secretary.